संख्या-38/2015/757/47-का-3-2015-13/4/2014टी.सी.

प्रेषक,

अशोक कुमार श्रीवास्तव
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 19 जून, 2015**

विषय - उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु वाहन क्रय किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-199/नजारत-आयोग/ 2015-8/1(10)/91-648/91, दिनांक 24.04.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के शासकीय कार्यों के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नये वाहन क्रय हेतु अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-14-मोटर गाडियों का क्रय के मद में रू0-27,27,000/- (रूपये सत्ताइस लाख सत्ताइस हजार मात्र) का बजट प्राविधान किया गया है। उक्त बजट प्राविधान में से उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के उपयोगार्थ 01(एक) अदद वाहन (मारूति सियाज पेट्रोल कार) डी.जी.एस.एन.डी.रेट कान्ट्रैक्ट के आधार पर रू0-6,79,000.00 (रूपये छः लाख उन्यासी हजार मात्र) में क्रय किए जाने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. उक्त वाहन का क्रय नियमानुसार निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत शासनादेशों के अधीन किया जायेगा।
2. क्रय किए जाने वाले वाहन एवं सामग्री की गुणवत्ता एवं न्यूनतम दर सुनिश्चित करने का दायित्व उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ का होगा।
3. उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ द्वारा रू0-7.00 लाख (रूपये सात लाख मात्र) की सीमा से अधिक का वाहन किसी दशा में क्रय नही किया जायेगा।
4. उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जिस प्रयोजन हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2051-लोक सेवा आयोग-103-कर्मचारी चयन आयोग-आयोजनेत्तर-03-उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग-14-मोटर गाडियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-823/दस-5-2015, दिनांक 15 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-38/2015/757(1)/47-का-3-2015-13/4/2014टी.सी., तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) निदेशक, वित्त सांख्यकीय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(3) कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5.
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(बाबू राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।